न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 47/2017

1. हुक्माराम | पिसरान पृथ्वीराज जाति बावरी निवासी 52 एन.पी. तहसील
2. सोहनलाल | रायसिंहनगर जिला श्रीगगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. प्रभुराम पुत्र मनीराम
2. सोहनलाल पुत्र चरणदास
3. रामकुमार पुत्र बृजलाल
4. राजकुमार पुत्र लालचन्द

| जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

5. चरणदास पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. मनीराम पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. मंगलाराम पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. बृजलाल पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
9. पृथ्वीराज पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 52 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
10. लालचन्द पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
11. कानाराम पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. भंवरी बाई पुत्री डालूराम पत्नी मनफुलराम जाति बावरी निवासी 10 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

13. तीजा देवी पुत्र डालूराम पत्नी मुन्शीराम जाति बावरी निवासी पक्का सारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
14. रामीबाई पुत्र डालूराम पत्नी ओमप्रकाश जाति बावरी निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 15.03.2017

उपस्थितिः—

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजय रेवाड अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 6

श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी मन्यमेव जयते श्रीगंगानगर

निर्णय दिनांक 14.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. 88, 92ए, 209 पेश किया। उक्त वाद में प्रतिवादीगण ने दिनांक 03.08.2016 को एक प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया कि वादी को वादकरण उत्पन्न नहीं है। अतः वाद खारिज किया जावे। उक्त प्रा.पत्र का जबाब वादीगण/अपीलार्थीगण ने पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण का प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के बाद अधी. न्यायालय ने दिनांक 15.03.2017 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए वाद वादीगण खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा जबाब दावा लेकर उन पर तनकियात संग्रहित कर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर ही वाद का

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय करना चाहिए था। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का विवेवन किये बिना ही प्रा.पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज कर दिया जो उचित नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी का वाद चलने योग्य नहीं था। वाद में प्रतिवादीगण द्वारा प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया जिसका जबाब वादीगण द्वारा पेश किया गया। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र स्वीकार कर वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अपीलांट का वाद पत्र इसलिए खारिज किया गया है कि वाद में रेस्पों. द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है जबकि दावा गुणावगुण के आधार पर निर्णय का मोहताज है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के तहत पेश हुआ एवं प्रा.पत्र में तथाकथित sub-resjudiceta के आधार पर दावा Barred by Law माना जाकर खारिज किया, प्रथमतः sub-resjudiceta सिविल प्रक्रिया संहिता में यह शब्दावली उपलब्ध नहीं है। अगर इसे Resjudiceta माना जाये तो सिविल प्रक्रिया संहिता का धारा 11 के प्रावधानुसार साबित एवं प्रमाणित होने पर इसी धारा के प्रावधानुसार दावा खारिज किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान Invoke योग्य नहीं है।

अधी. न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का प्रा.पत्र स्वीकृत किया है। सन्दर्भ नियम की Bare reading है कि आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करते हुए दावा खारिज किया है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की Bare reading है कि वाद पत्र का नामंजूर किया जानाः– वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर किया जाएगाः–

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता। (ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है , ऐसा करने में असफल रहता है। (ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है। ऐसा करने में असफल रहता है। (घ) जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। (ड.) जहां यह दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है। (च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है। नियम 11 के a,b,c,e,f किसी भी रूप में अधी. न्यायालय में विचाराधीन दावे से सम्बन्धित नहीं है, अधी. न्यायालय के निर्णय की इबारत आदेश 7 निमय 11(d) की परिधि में निर्णय किया जाना प्रतीत होता है जिसकी पहली आज्ञापक शर्त है कि जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है परन्तु प्रा.पत्र में दावे के किसी चरण का उल्लेख नहीं किया जिससे प्रतीत होता हो कि दावा इस विधि द्वारा वर्जित है। अतः 11(d) के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा प्रा.पत्र में वर्णित Resjudiceta के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में भी प्रा. पत्र रखा जाए तो सन्दर्भ विधि की Bare reading है कि धारा 11. Res judicata.— No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court. प्रा.पत्र में जिस निर्णय को पूर्व न्याय दर्शाया है वह अपील इन्तकाल प्रकरण सं. 29/15 का निर्णय है जिसका अनवान है कि:

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर। पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल , आर.ए.एस. , अपील इन्ताकल प्रकरण सं. 29/2015

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(1) कानाराम पुत्र डालूराम निवासी 2के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(2) मंगलाराम पुत्र डालूराम निवासी 2के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(3) पृथ्वीराज पुत्र डालूराम निवासी 2के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(4) भंवरीबाई पुत्री डालूराम पत्नी मनफुलराम जाति बावरी निवासी 10 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(5) तीजांदेवी पुत्री डालूराम पत्नी मुन्शीराम निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।

(6) रानीबाई पुत्री डालूराम पत्नी ओमप्रकाश निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला बीकानेर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

(1) प्रभुराम पुत्र मनीराम जाति बावरी निवासी 2के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(2) सोहनलाल पुत्र चरणदास जाति बावरी निवासी 2के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(3) रामकुमार पुत्र बृजलाल जाति बावरी निवासी 2के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(4) राजकुमार पुत्र लालचन्द जाति बावरी निवासी 2के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(5) स्टेट आफ राज0 जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर(भू.अभि.)। ——रेस्पोंडेन्ट्स

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 की Application दावे के लिए बनी है जबकि यह निर्णय अपील का है, उसके अतिरिक्त पूर्व न्याय के सिद्धांत का प्रमुख कारकों में पूर्ववर्ती वाद एवं विचारणीय दावे के पक्षकार same हो परन्तु अधी. न्यायालय विचाराधीन दावे का उनवान है कि :

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), रायसिंहनगर,

(1) हुक्माराम उम्र 29 साल पुत्र पृथ्वीराज | जाति बावरी निवासीयान 52 एन.पी.
(2) सोहनलाल उम्र 27 साल पुत्र पृथ्वीराज | तह0रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

——वादीगण

बनाम

(1) प्रभुराम उम्र 40 साल पुत्र मनीराम
(2)सोहनलाल उम्र 38 साल पुत्र चरणदास
(3)रामकुमार उम्र 35 साल पुत्र बृजलाल
(4) राजकुमार उम्र 30 साल पुत्र लालचंद
| जाति बावरी निवासीयान 2के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(5) चरणदास उम्र 70 साल पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 2के.डब्ल्यू.एम.

(6) मनीराम उम्र 68 साल पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 2के.डब्ल्यू.एम.

(7) मंगलाराम उम्र 66 साल पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 2के.डब्ल्यू.एम.

(8) बृजलाल उम्र 64 साल पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 2के.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(9) पृथ्वीराज उम्र 62 साल पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 52 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

(10) लालचन्द उम्र 60 साल पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 2के.डब्ल्यू.एम.

(11) कानाराम उम्र 58 साल पुत्र डालूराम जाति बावरी निवासी 2के.डब्ल्यू.एम.

(12) भंवरीबाई पुत्री डालूराम पत्नी मनफूलराम जाति बावरी निवासी 10 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(13) तीजांदेवी पुत्र डालूराम पत्नी मुन्शीराम जाति बाबरी निवासी पक्का सारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।

(14) रामीबाई पुत्री डालूराम पत्नी ओमप्रकाश जाति बावरी निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

(15) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। ——प्रतिवादीगण

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

इस प्रकार अपील का उनवान व दावे का उनवान में पक्षकार भिन्न है। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि अपीलाधीन आदेश न तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 की परिधि में आता है और न ही सिविलि प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में cover होता है। अतः रेस्पों. का प्रा.पत्र अधी. न्यायालय द्वारा स्वीकार किया है वह खारिज योग्य है के विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि दावे, जबाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर उन पर साक्ष्य संग्रहित कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर